ISSN 2321 - 9300
वर्ष : 10 अंक 108 दिसंबर 2022

हिंदी मासिक

# बयान

साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध

सहयोग
50 रु.

# बयान

साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध हिंदी मासिक

दिसम्बर 2022

संपादक
मोहनदास नैमिशराय

सहायक संपादक
रूपचन्द गौतम

संपादकीय सलाहकार
डॉ. जे.आर. सोनी/शेखर/साक्षी गौतम/सतीश खनगवाल

प्रादेशिक प्रतिनिधि
ब्रजेन्द्र गौतम, इलाहाबाद, डॉ. रामविलास भारती, गोरखपुर, गोरख बनसोड़े सातारा, बुद्धशरण हंस पटना, हरीश मंगलम अहमदाबाद,

संपादकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यालय
बी.जी. 5ए/30-बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली, 110063
मोबाइल : 8860074922

प्रकाशक मुद्रक व स्वामी मोहनदास नैमिशराय द्वारा एम्सपो प्रिन्ट एडं मीडिया, 97/12, सुंदर पैलेस, ज्वाला हेडी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063 से मुद्रित

बी.जी. 5ए/30बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 से प्रकाशित किया।



प्रकाशित रचनाओं के विचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं है।

बयान से संबन्धित सभी विवादस्पद मामले दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।

बयान पत्रिका से जुड़े सभी साथी अवैतनिक हैं।


## अनुक्रम


संपादकीय

साहित्य/ संस्कृति/धर्म और राजनीति की यात्रा 4

नागी अस्मिता और डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर (डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस : विनम्र अभिवादन) / *डॉ. अलका नारायण गाडकरी* 5

जातिवाद, पाखंड और अंधविश्वास मुक्त भारत के लिए जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण / *प्रो. (डॉ.) के. पी. यादव* 6

6 नवम्बर 1951 को पटना के गाँधी मैदान में बाबासाहेब आंबेडकर का भाषण / *इं. राजेन्द्र प्रसाद* 7

बाबा साहेब महापरिनिर्वाण साहित्य के आइने में / *डॉ. जी.सी. भारद्वाज* 10

मा. मल्लिकार्जुन खरगे जी : सच्चा आंबेडकरवादी कार्यकर्ता / *प्रो. एच. टी. पोते* 11

पश्चिम से आई प्रथम दो अम्बेडकरवादी महिलाओं—एलेनॉर ज़ेलियट और गेल ऑमवेट्ट को भावपूर्ण श्रद्धांजलि / *दिनेश आनंद* 14

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर - महिला सशक्तिकरण / *डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावडे* 21

वर्तमान समय में बहुजन आन्दोलन में महिलाओं की स्थिति / *रेखा भारती (एडवोकेट)* 23

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सामाजिक और राजनैतिक सरोकार / *प्रमोद रंजन* 25

रजनी के बाद आन्दोलन की स्थिति / *पुष्पा विवेक* 29

बिहार में दलितों के प्रति पिछड़ा वर्ग के विरोध-अंतर्विरोध की एक पड़ताल / *डा. मुसाफ़िर बैठा* 32

आदिवासी संस्कृति और आंदोलन के प्रहरी वंदारु सोनवणे / *प्रो. डॉ. गोरख तिंडोबा बनसोडे* 38

सुषमा असुर की कविताएं / *डॉ चांदणी लक्ष्मण पंचांगे* 41

हिंदी साहित्य में चित्रित दलित आदिवासी विमर्श / *डॉ. बाजीराव राजाराम शेलार* 43

गुजराती दलित साहित्य : उद्भव एवं विकास / *हरीश मंगलम* 45

"राजनैतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और सामाजिक परिवर्तन पहले व्यक्ति के खुद के परिवर्तन से शुरू होता है"/ *दिनेश आनन्द* 54

अच्छी फसल जब होती थी तभी भरपेट खाना मिलता था वरना भूखा ही सोया करता था / *डॉ. जे.आर. सोनी* 58

वरिष्ठ नेता विश्वजीत बोडो जी से मेरी एक बातचीत / *अनूप प्रसाद* 60

जाति : हमारे असन्तोष की उत्पत्ति / *डॉ. ब्रजेन्द्र गौतम* 61

हाशिये के साहित्य का संग्रहणीय दस्तावेजी अंक / *अरुण नारायण* 62

"हमने भी इतिहास बनाया" / *रेखा भारती (एडवोकेट)* 64

अपने कार्य से जवाब देना हमने सीखा 65

कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान / *साक्षी गौतम* 66

**परिचर्चा सामाग्री और कविताएँ**

# डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर - महिला सशक्तिकरण

**डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावळे**

*हिंदी विभाग, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती, पुणे*

भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत के हर नागरिकों को इंसान की तरह सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया है। १९४६ में उन्हें संविधान मसोदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्यायमंत्री थे। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है, जिसे संविधान सभा द्वारा २६ नवंबर १९४९ को ग्रहण किया गया तथा २६ जनवरी १९५० को पारित किया गया। भारतीय संविधान, यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्मग्रंथ - इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक मनुष्य को आनन्दपूर्वक जीवनयापन करने की स्वतंत्रता है। "मनुष्य को कुछ अधिकार तो प्रकृति ने दे रखे है, एवं कुछ अधिकार देश के संविधान से मिले हुए है, जिनका उपयोग कर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, वही मानव अधिकार कहलाते है।"। मनुष्य का विकास होता है तो समाज विकसित होगा और समाज का विकास ही देश को उन्नति के पथपर ले जाएगा। "मानव अधिकार मस्तिष्क की अभिवृद्धि है जो मानव और उसकी शक्तियों मामलों लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्राथमिक महत्त्व प्रदान करती है।"2 भारतीय संविधान ने भारत के हर नागरिकों को इंसान की तरह सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया है। लेकिन आधी आबादी स्त्री और दलित इस अधिकार से वंचित है। इसके लिए शिक्षा को प्राधान्यता दी है। एक नारी शिक्षित हो जाती है तो दो परिवार शिक्षित होते है। इसलिए नारी शिक्षा को प्रधानता दी है। शिक्षित स्त्री आज अपने स्वत्व को पहचान कर शोषकों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी है। भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी १९९२ में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। यह आयोग संवैधानिक संस्था एवं महिलाओं के अधिकारों प्रति सजग है।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। उनका कार्य सर्वव्यापक है। महिलाओं के लिए उनका योगदान अमूल्य है। उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिन्दू व्यवस्था से लंबी लड़ाई लड़ी, इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर कहते है "मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।" हिन्दू कोड बिल की मांग को महिलाएं कैसे भूल सकती है, जिसके विरोध के कारण बाबा साहेब मंत्रिपद को त्याग देते है। महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रस्ताव रखे थे। इतना ही नहीं आर्टिकल 14 - 15 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रस्ताव भी किया गया, साथ ही महिलाओं के शोषण के विरुद्ध संविधान में सख्त कानून बनाया, अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई। डॉ बाबा साहेब आंबेडकर का कार्य संक्षिप्त शब्दों में नहीं लिखा जा सकता जैसे की हम सागर की गहराई को नाप नहीं सकते उसी प्रकार डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के कार्य को नापा नहीं जा सकता।

**संदर्भ -**

1. भारत में मानव अधिकार—डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा, पृष्ठ ।
2. वही, पृष्ठ ।